

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि-3/नरेगा/माद./2009-10

जयपुर, दिनांक:- 21/7/09

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जॉब कार्ड के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 19.06.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदभित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत परिवार की परिभाषा एवं जॉब कार्ड जारी किये जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विधवा महिला के परिवार को अलग परिवार माना जावे, चाहे विधवा महिला अपने मायके/ससुराल परिवार के साथ निवास कर रही हो एवं उसे पृथक से जॉब कार्ड जारी किया जा सकता है। विधवा महिला के आश्रित बच्चे उनके परिवार के सदस्य माने जायेंगे।

भवदीय,

(जी.एस.सन्धु)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजि सचिव, आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, समस्त राजस्थान।
4. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
5. जन सर्मर्पक निदेशालय को मुख्य समाचार पत्रों में समाचार के रूप में जारी करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अधिशोषी अभियंता (वी), ईजीएस